संख्या-32/2015/वे0आ0-2-530/दस-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 11 जून, 2015**

विषय- हथकरघा एंव वस्त्रोद्योग विभाग के वस्त्र परीक्षक/पावरलूम निरीक्षक के पदों की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हथकरघा एंव वस्त्रोद्योग विभाग के वस्त्र परीक्षक/पावरलूम निरीक्षक के पदों की वेतन विसंगति का प्रकरण मुख्य सचिव समिति को संदर्भित हुआ । उक्त प्रकरण पर मुख्य सचिव समिति की दिनांक 18 मार्च, 2014 को सम्पन्न बैठक में विचार किया गया।

2- मुख्य सचिव समिति की उक्त बैठक दिनांक 18 मार्च, 2015 का कार्यवृत संलग्न कर प्रेषित है। कृपया अवगत होना चाहें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिवा

संख्या-32/2015/वे0आ0-2-530/दस-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in